



संख्या: 136/2026/516पू0वि0नि0/35-1-2026-35-1099/66/2023

विषयक,

अशोक कुमार राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्वान्वल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-56/40 के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद मिर्जापुर की 02 परियोजनाओं की अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-531/डीएसटीओ/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26, दिनांक 10.06.2025, पत्र संख्या-725/डीएसटीओ/पू0वि0नि0/2024, दिनांक 29.07.2025, पत्र संख्या-1066/डीएसटीओ/पू0वि0नि0/2025-26, दिनांक 27.10.2025, पत्र संख्या-1473/डीएसटीओ/पू0वि0नि0राज्यांश/2025-26, दिनांक 12.02.2026, पत्र संख्या-1597/डीएसटीओ/पू0वि0नि0/2025-26, दिनांक 24.03.2026 एवं पत्र संख्या-256/डीएसटीओ/पू0वि0नि0/2026-27, दिनांक 13.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्वान्वल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56/40 के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद मिर्जापुर की 02 परियोजनाओं से संबंधित प्रपत्र-यूसी/फार्म-42 आई, बी0 एम0-15 व एनेग्जर-2, फोटोग्राफ, निरीक्षण आख्या एवं बचत पत्र पर सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति स्तम्भ-3 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगली किश्त के रूप में उनके सम्मुख स्तम्भ-11 में अंकित धनराशि, जिनका कुल योग रू0 21.23 लाख (रूपये इक्कीस लाख तेइस हजार मात्र) है, को पूर्वान्वल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये अधोलिखित प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्वल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	परियोजना का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई कि0मी 0 में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर दर्शायी गयी बचत की धनराशि	मांगी गयी धनराशि	जी0एस0टी0 एवं अन्य सूचनानुसार आंकिलत अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1	पटेहरा नेवडिया मार्ग के किमी 0.05 से कुहकी खण्डवार मझारी सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	शासं-0-121/2021/268/23-14-2021-41/आ0पू0वि0नि 0/2021, दिनांक 23.03.2021	3.0	143.65	121.82	113.50	0.60	12.43	8.13	8.13
2	पथरौरा सम्पर्क मार्ग किमी 0.02 से देवरी दुबार सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	तदैव	3.4	147.41	123.70	119.49	0.05	17.47	13.10	13.10
		योग	6.4	291.06	245.52	232.99	0.65	29.90	21.23	21.23

(रूपये इक्कीस लाख तेइस हजार मात्र)

3. शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

- (1) यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
- (2) सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (3) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।
- (4) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नहीं रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
- (7) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।
- (8) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।
- (10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ०प्र०व उ०प्र० शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

(12) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अंत तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(13) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र०शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(15) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(16) नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड विषयक वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस० पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(19) विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय कुल ₹० 21.23 लाख (रूपये इक्कीस लाख तेइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक "4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार राम)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मिर्जापुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0-
(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।